न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 9 / 2023 (राजसमन्द डिक्री)

भुपेश पिता पुरूषोत्तम जी पालीवाल, निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमन्द।

.... अपीलान्ट

बनाम

1. गिरीश पिता बसन्तराम जी पालीवाल, निवासी जावद, तहसील राजसमन्द।
2. दीनदयाल पिता बसन्तराम जी पालीवाल, निवासी जावद, तहसील राजसमन्द।
3. पुरूषोत्तम पिता बसन्तराम जी पालीवाल, निवासी जावद, तहसील राजसमन्द।
4. राजेन्द्र पिता मुरलीधर जी पालीवाल, निवासी जावद, तहसील राजसमन्द।
5. रश्मि पिता सार्दुल पत्नी राजेश जी जोशी, निवासी जावद, तहसील राजसमन्द।
6. चित्रा पिता सार्दुल पत्नी अजय जी मेनारिया, निवासी जावद, तहसील राजसमन्द।
7. करिश्मा पिता सार्दुल पत्नी मनोज पालीवाल, निवासी जावद, तहसील राजसमन्द।
8. पुष्पा बेवा सार्दुल जी पालीवाल, निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमन्द।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा दिनांक
14–07–2017 प्रकरण संख्या 51/2017

–––::–––

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक रे. सं. 1
3– श्री नरोत्तम पालीवाल अभि.रे.सं. 2, 4 से 8

–––::–––

निर्णय दिनांक 21–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जावद में वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी के खाता संख्या 167 की आराजी नंबर 592, 593, 601 व 808 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 273 की आराजी नंबर 760 व 761 कुल किता 2 रकबा 13 [illegible] व खाता संख्या 274 क आराजी नंबर 347, 348, 594, 604, 605, 606, 667, 66[illegible] 19 कुल किता 9 रकबा 14 बीघा 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमियों का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, जिससे पक्षकारान के मध्य आये दिन झगड़े होते हैं एवं प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः उपरोक्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 14–07–2017 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–07–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 4 से 8 की ओर से वकील श्री नरोत्तम पालीवाल उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद जिला न्यायाधीश राजसमन्द में विचाराधीन है, किन्तु उक्त तथ्यों को छुपाकर वाद डिक्री करवा लिया गया है, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

धारा 96 जा.दी. के उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 4 से 8 की ओर से प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट ने क्या दावा किया इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि सिविल न्यायालय में वे पक्षकार नहीं हैं। अपीलान्ट का उक्त वाद से कोई संबंध नहीं है। अपीलान्ट ने वाद अपने पिता के विरूद्ध पेश किया है, जिसमें यदि न्यायालय उसका हिस्सा घोषित करे तो इससे रेस्पोन्डेन्ट का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद को लिंगरऑन करने के उद्देश्य से अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है, जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रश्नगत अपील के वाद में अपीलान्ट पक्षकार नहीं है, किन्तु उसके पिता उक्त वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 7 हैं। अपीलान्ट यदि उक्त आराजियात में कोई हक हिस्सा रखता है तो वह अपने पिता को विभाजन में प्राप्त भूमि में से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु इस आधार पर हम उक्त वाद के निर्णय से अपीलान्ट को प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अपील के अपीलान्ट ने साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन भी प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से उन्हें पूर्व में उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अभी हाल ही में कुछ लोगों से सुना कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय से डिक्री जारी हो चुकी है। तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 4 से 8 की ओर से दफा 5 जाब्ता मियाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील लगभग 6 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इतने लम्बे विलम्ब का कोई ठोस कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया है। अपीलान्ट आदतन मुकदमेबाज है, जिसने उक्त सम्पत्ति के संबंध में काफी मुकदमे कर रखे हैं इसलिए ऐसा कतई संभव नहीं कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की जानकारी उसे न रही हो। प्रार्थी/अपीलान्ट ने जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत की है, जो बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–07–2017 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में 60 दिवस अर्थात दिनांक 13–09–2017 तक प्रस्तुत हो जानी थी, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 14–07–2023 को अर्थात करीब 5 वर्ष 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताया है, वह न तो उचित कारण प्रतीत होता है, न ही इतनी लम्बी अवधि के लिए पर्याप्त कारण हैं। जबकि देरी के मामले में प्रत्येक दिन की देरी का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं होने से उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है एवं उसे सुने बिना [illegible] निर्णय पारित किया गया है। इसी आराजियात बाबत् भुपेश [illegible] पुरूषोत्तम [illegible] वाद 81/2010 विचाराधीन होते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested

एवं न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा स्थगन होने के बावजूद रेस्पोन्डेन्ट द्वारा तथ्यों को छुपाकर वाद में डिक्री प्राप्त की गयी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 पुरूषोत्तम का पुत्र है तथा अधिनस्थ न्यायालय राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार वाद डिक्री किया है। अपीलान्ट का यदि उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा बनता है तो वह अपने पिता के हिस्से से ही प्राप्त कर सकता है, अन्य सहखातेदारों की भूमि से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में अंकित विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट के पिता पुरूषोत्तम प्रतिवादी संख्या 7 हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य राजस्व रेकार्ड अनुसार ही विभाजन की डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपीलान्ट अपने पिता पुरूषोत्तम के हिस्से में से अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं, किन्तु इस अपील के माध्यम् से उसे किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने, अपील बेरून मयाद होने तथा अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

भुपेश पिता पुरूषोत्तम जी पालीवाल, निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमन्द	बनाम	**गिरीश पिता बसन्तराम जी पालीवाल, निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**9 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**14**.....माह.....**07**.....**2017**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश तलेसरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री अक्षय पालीवाल/नरोत्तम पालीवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने, अपील बेरून मयाद होने तथा अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested